राजस्थान सरकार
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2022-23

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति	2–3
3.	अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढॉचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य	5
5.	आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	6–8
6.	सार–संक्षेप (Excutive summary)	9–11

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

1 **भूमिका** :– आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन "दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग में शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद न्यायिक सेवा का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

2. अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढांचा एवं पदीय स्थिति :-

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	01	00	01	शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	01	00	01	-
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	02	00	02	1 पद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 1 पद अभियोजन निदेशालय, उप निदेशक पद के विरुद्ध कार्यरत
4.	उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक	15	10	05	2 पद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एव 1 पद लोक अभियोजक श्रीगंगानगर
5.	सहायक निदेशक अभियोजन /विशिष्ठ लोक /अपर लोक अभियोजक	91	85	06	36 पद जिला स्तर पर 16 पद अपर लोक अभियोजक 16 पद विशिष्ट लोक अभियोजक 01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद निदेशालय चिकित्सा विभाग 18 पद विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय 01 पद अभियोजन निदेशालय 01 पद आर.पी.ए. 01 पद बम ब्लास्ट न्यायालय
6.	अभियोजन अधिकारी	309	259	50	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद आर.पी.ए. 02 पद पी.टी.एस. 01 पद ए.टी.एस. 02 पद जे.डी.ए. 01 पद रेरा (RERA) न्यायालय में। शेष पद न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु।
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	478	256	222	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) शेष पद न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु।
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	02	01	01	-
9.	निजि सचिव	01	01	00	-
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	03	03	00	-
11.	संस्थापन अधिकारी	11	02	09	
12.	प्रशासनिक अधिकारी	33	13	20	-
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	88	80	08	-
14.	निजि सहायक	05	03	02	-
15.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	01	00	01	

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

16.	कनिष्ठ लेखाकार	24	16	08	—
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00	—
18.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	00	—
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01	00	—
20.	शीघ्र लिपिक	09	08	01	—
21.	प्रोग्रामर	01	00	01	—
22.	सहायक प्रोग्रामर	05	05	00	—
21.	सूचना सहायक	34	14	20	—
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	188	89	99	—
23.	वरिष्ठ सहायक	265	96	169	—
24.	कनिष्ठ सहायक	519	497	22	—
25.	ड्राईवर	01	01	00	—
26.	जमादार	31	10	21	—
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	798	128	670	—
	योग	2919	1580	1339	—

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

3 अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

↓

1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	उप निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव / निजी सहायक / शीघ्र लिपिक
10	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
11	सहायक लेखाधिकारी प्रथम / द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
12	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
13	प्रोग्रामर / सूचना सहायक
14	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

4. **विभागीय प्रमुख कार्य** – अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणो मे पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :–

(अ) न्यायिक मजिस्ट्रेट – राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(ब) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(स) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई हेतु राज्य मे 18 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयो मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 18 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(ड) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 9 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(च) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार – राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचारो मे से 2 न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(छ) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड – राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है।

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

5. आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना:-

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष अक्टूबर 2022 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 954033 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 284539 (29.82 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 669494 (70.18 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (89.57 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 590768 थी, जिनमे से 91046 (15.41 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 499722 (84.59 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें, जिसमें दोष सिद्धी 57.63 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह अक्टूबर 2022 तक 3955 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 266 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3689 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 52.7 प्रतिशत रहा है।

वर्ष अक्टूबर 2022 तक महिलाओ पर अत्याचार से संबंधित कुल 68926 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 11880 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 57046 प्रकरण विचाराधीन हैं। दोष सिद्वि 22.33 प्रतिशत रही।

वर्ष जून 2022 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 18922 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 890 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 18032 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 20.17 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 4.70 रहा।

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत 3 वर्षों में अन्य अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :-

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022 अक्टूबर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	576586	616819	693464
2.	दायर	220244	302071	260569
3.	योग	796830	918890	954033
4.	कमिट (–)	5858	9311	8279
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	790972	909579	945754
ब.	दोषसिद्धि	125098	138099	130969
स.	दोषमुक्ति	8909	10137	15250
द.	अन्य ढंग से	40146	67879	130041
5.	कुल निर्णित प्रकरण	174153	216115	276260
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	616819	693464	669494
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	93.35	93.16	89.57
8.	निर्णय का प्रतिशत	22.02	23.76	29.21

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत 3 वर्षों में भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :-

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022 अक्टूबर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	409590	445597	497484
2.	दायर	82442	112187	93284
3.	योग	492032	557784	590768
4.	कमिट (–)	6432	9832	7928
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	485600	547952	582840
ब.	दोषसिद्धि	15370	16370	18132
स.	दोषमुक्ति	7754	8906	13331
द.	अन्य ढंग से	16879	25192	51655
5.	कुल निर्णित प्रकरण	40003	50468	83118
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	445597	497484	499722
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	66.47	64.76	57.63
8.	निर्णय का प्रतिशत	8.24	9.21	14.26

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

6. सार–संक्षेप (Exective summary) :–

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 57.63 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 89.57 रहा है।

2. पदौन्नति –

(अ) अभियोजन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	वर्ष 2019–20 से 2022–23 की पदोन्नति की जानी शेष है।
2.	उप निदेशक अभियोजन	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
3.	सहायक निदेशक अभियोजन	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
4.	अभियोजन अधिकारी	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।

(ब) मंत्रालयिक सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	निजी सचिव	वर्ष 2018–19 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। वर्तमान में पद रिक्त नही है।
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। वर्तमान में पद रिक्त नही है।
3.	निजी सहायक	वर्ष 2015–16 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात् शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक निजी सहायक के पद हेतु पात्रता नही रखता है।
4.	संस्थापन अधिकारी	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
5.	प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
8.	वरिष्ठ सहायक	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
9.	कनिष्ठ सहायक	वर्ष 2022–23 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

3 **भवनों के सम्बन्ध में:–** अभियोजन विभाग में भवनों के सम्बंध में सूचना निम्नानुसार है:–

(I) **वित्तीय वर्ष 2018–19–** के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय बाड़मेर व एसीबी भरतपुर, अभियोजन अधिकारी कार्यालय लूणकरणसर, विजयनगर, दूदू, सरवाड़, पुष्कर, आमेट, रेलमगरा के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमे से **बाड़मेर, एसीबी भरतपुर, दूदू, आमेट, रेलमगरा, सरवाड़, विजयनगर, पुष्कर एवं लुणकरणसर के भवनो का निर्माण पूर्ण होकर 09 भवनो का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।**

(II) **वित्तीय वर्ष 2019–20–** के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी कार्यालय देवली, नाथद्वारा, भीम, देवगढ, कुम्भलगढ, खोखरिया मण्डोर, लखेरी, पदमपुर एव एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल हेतु कार्य स्वीकृत किये गये थे , जिनमें से **देवली, भीम, देवगढ़, कुम्भलगढ, खोखरिया मण्डोर, पदमपुर एव एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल के भवनो का निर्माण पूर्ण होकर 7 भवनो का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है** तथा शेष भवनो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(III) **वित्तीय वर्ष 2020–21–** के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय मेड़ता सिटी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(IV) **वित्तीय वर्ष 2021–22–** के अन्तर्गत जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी एवं अभियोजन अधिकारी कार्यालय फागी, जयपुर देहात के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं अभियोजन कार्यालय फागी के कार्यालय हेतु भूमि विनिमय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(V) **वित्तीय वर्ष 2022–23–** के अन्तर्गत अभियोजन कार्यालय कुचामन सिटी (नागौर), दूनी(टोंक), ग्राम न्यायालय पींसागन(अजमेर), सराडा(उदयपुर), एवं जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्यालयों के भवन निर्माण के सम्बंध में वांछित कार्यवाही प्रकियाधीन है।

4 **नियुक्ति:–** वर्ष 2022 में दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक 16 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ सहायक, 01 राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड एंव 01 अभ्यर्थि को खेल कोटे से कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं 08 अभ्यर्थि को शीघ्र लिपिक के पद पर तथा 06 मृतक आश्रित को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

5 **पद सृजन–** विभाग द्वारा वर्ष 2022 में मंत्रालयिक कर्मचारीयों के कैडर स्ट्रैथं का पुनर्गठन हो चुका है। जिसके क्रम में विभाग में वर्तमान में संस्थापन अधिकारी–11, प्रशासनिक अधिकारी–33, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी–88 तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी–188 पद स्वीकृत है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2022 में 01 पद अभियोजन अधिकारी, 06 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित किये गये।

6 **बजट –** अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014–00–114–02–01 (State Fund) में वर्ष 2022–23 में रू. 11494.97 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध 01 दिसम्बर 2022 तक 8277.34 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059–80–(051)–08–00–(17) (Plan) मे वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 281.05 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध 01 दिसम्बर 2022 तक राशि रू. 46.2571 लाख का व्यय हो चुका है।

7 **निरीक्षण:—** वर्ष 2022 में माह जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 48.96 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।

8 **E-prosecution Software:-** को प्रायोगिक आधार पर पुलिस थाना चौमू (जयपुर पश्चिम) और पुलिस थाना सांगानेर सदर (जयपुर दक्षिण) चिन्हित किया गया था। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2022 में 19 जिलों के थाना सदर/कोतावली (जोधपुर पूर्व/पश्चिम, बांसवाडा, भीलवाडा, चुरू, चितौडगढ, डूगंरपुर, हनुमानगढ, झालावाड, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ, करौली, सिरोही, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा ग्रामीण एवं उदयपुर) में **E-prosecution** को प्रायोगिक आधार पर पुलिस/अभियोजन विभाग पत्रावली/विधिक राय ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु चिन्हित किया गया। माह जनवरी 2022 से 07 दिसम्बर 2022 तक राजस्थान में कुल 47,542 केसो की प्रविष्टि की गई।

9 **भर्ती हेतु अर्थना** —विभाग द्वारा 176 सहायक अभियोजन अधिकारी के पदो पर भर्ती हेतु संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 01.09.2022 एवं कनिष्ठ सहायक के 26 पदों की अर्थना दिनांक 01.08.2022 को प्रशासनिक सुधार(अनुभाग—3) को भेजी गई है।

....

युधिष्ठिर शर्मा
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर